

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल - [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE

REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)

25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

पत्र सं० 8बी/एच.पी./09/64/2018/एफ.सी. /2177

दिनांक: 15/02/2019

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
हिमाचल प्रदेश सरकार,  
वन विभाग, टालैंड, शिमला।

**विषय : Diversion of 8.9899 ha of forest land in favour of Manali Ropeways Pvt. Ltd. Solang Valley, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. for the construction of Manali Ropeway Project within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, H.P. (online no. FP/HP/others/31593/2018)**

संदर्भ: नोडल अधिकारी एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के पत्रांक एफ.टी. 48-3711/2018 (एफ.सी.ए.) दिनांक 07.01.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्रस्ताव को अगली आर.ई.सी. की बैठक में रखा जाना सुनिश्चित किया गया है।

अतः राज्य सरकार आगामी आर.ई.सी. मीटिंग से पूर्व निम्नलिखित पूर्तियाँ / दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :-

1. राज्य सरकार यह undertaking प्रस्तुत करेगी कि प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण में कम से कम 50 % वृक्ष Oak, Kharsu एवं Bhojpatra प्रजाति के होंगे।
2. राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.01.2019 के साथ प्रस्तुत किया गया सी.ए. का मानचित्र Online Web Portal para 13 part-II पर भी अपलोड किया जायेगा जो कि सी.ए. हेतु प्रस्तुत के.एम.एल. के साथ भी match करना चाहिये।
3. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत CWLW के comments की प्रतिलिपी ऑनलाइन Part-II के additional documents के साथ अपलोड किया जायेगा।

भवदीया,

(कमल प्रीत)

वन संरक्षक